Act, 1976 (Bihar Act 24, 1976) by Patna University (Second Amendment) Ordinance, 1986 (Bihar Ordinance No. 34, 1986), Patna University (Amendment) Ordinance, 1987 (Bihar Ordinance No. 12, 1987), Patna University (Amendment) Second Ordinance, 1987 (Bihar Ordinance No. 20, 1987), Patna University (Amendment) Ordinance, 1988 (Bihar Ordinance No. 5, 1988), Patna University (Amendment) Second Ordinance, 1988 (Bihar Ordinance No. 11, 1988), Patna University (Amendment) Ordinance, 1989 (Bihar Ordinance No. 7, 1989), Patna University (Amendment) Second Ordinance, 1989 (Bihar Ordinance No. 17, 1989), Patna University (Amendment) Ordinance, 1990 (Bihar Ordinance No. 1, 1990), Patna University (Amendment) Second Ordinance, 1990, (Bihar Ordinance No. 9, 1990), Patna University (Amendment) Third Ordinance, 1990 (Bihar Ordinance No. 13, 1990), Patna University (Amendment) Fourth Ordinance, 1990 (Bihar Ordinance No. 22, 1990) Patna University (Amendment) Ordinance, 1991 (Bihar Ordinance No. 8, 1991), Patna University (Amendment) Second Ordinance, 1991 (Bihar Ordinance No. 17, 1991), Patna University (Amendment) Third Ordinance, 1991 (Bihar Ordinance No. 32, 1991), Patna University (Amendment) Ordinance, 1992 (Bihar Ordinance No. 1, 1992), Patna University (Amendment) Second Ordinance, 1992 (Bihar Ordinance No. 1, 1992), Patna University (Amendment) Second Ordinance, 1992 (Bihar Ordinance No. 15, 1992), Patna University (Amendment) Ordinance, 1993 (Bihar Ordinance No. 5, 1993) and Patna University (Second Amendment) Ordinance 1993 (Bihar Ordinance No. 13, 1993) are hereby repealed :

Provided that anything done or any action taken in accordance with the provisions of the aforesaid Ordinances shall not be affected except that any action taken or any act done which are contrary to the provisions of this Ordinance shall not be effective:

Provided further that notwithstanding such repeal and notwithstanding Section 2 of the Bihar Ordinance No. 5 of 1993, salaries and allowances already paid or payable to a person against actual services rendered after having reached the age of 60 years but prior to the commencement of the Bihar Ordinance No. 5, 1993 shall not be affected.

After passing of Act 18 of 1993, the chain of Ordinances were broken. This Act retained all the amendments brought by Ordinances 5, 13 and 15 of 1993 w.e.f. 16.8.1992 (according to sub-section (2) of Section 1). of this Act.)

[1][**65. आचार संहिता ।**—(1) विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिये आचार संहिता परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी ।

[2]["2. विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर पद, जब तक अन्यथा अंकित न हों, साधारणत: पूर्णकालिक पद है । विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा प्रदत्त शिक्षण एवं अन्य कर्तव्यों का पालन इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को पूर्णकाल तक करना है । यदि विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय / महाविद्यालय /संस्थान का कोई शिक्षक या कर्मचारी किसी संस्थान के निर्वाचित अथवा गैर-निर्वाचित पद या उसकी सदस्यता ग्रहण करता है, जिससे विश्वविद्यालय के शिक्षण अथवा अन्य कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है, तो वैसे शिक्षक / कर्मचारी को विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान से अनुमति लेनी होगी और अपने नियोक्ता से एक निश्चित अवधि के लिए सवैतनिक / अवैतनिक अवकाश लेना होगा ।

विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान के शिक्षक और कर्मचारी निजी रोजगार, उद्योग-धंधा, निजी अनुशिक्षण तथा अन्य कार्य, जो विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान की राय में उनकी नियुक्ति के हित में नहीं हो, करने की अनुमति नहीं होगी । शिक्षक / कर्मचारी जो असाधारण छुट्टी पर जाएंगे वे विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान की निधि से वेतन अथवा भत्ता पाने के अधिकारी नहीं होंगे और वहां से गृहित सेवा की प्रकृति को परखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित कर सकेंगे / अर्जित नहीं कर सकेंगे । ऐसे असाधारण अवकाश परिनियमों के द्वारा विहित किया जाएगा और विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान के द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा ।

परंतु विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान के शिक्षक / कर्मचारी यदि राज्य अथवा केन्द्रीय विधान मंडल के सदस्य हो जाएं तो उक्त पदों पर शपथ लेने की तिथि से राज्य/केन्द्रीय विधान मंडल की सदस्यता की पूरी अवधि के लिए विशेष अवकाश पर समझे जायेंगे। विशेष अवकाश परिनियमों द्वारा विहित किया जाएगा। विशेष अवकाश पर गये शिक्षकों/कर्मचारियों के सेवा हितों को

1. Subs. by Act 67 of 1982.
3. Subs. by Act 13 of 1998.

Scanned with CamScanner

पूरी सुरक्षा दी जाएगी और वे वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रोन्नति, सेवा की वरीयता अर्जित करते रहेंगे। राज्य अथवा केन्द्रीय विधान मंडल की सदस्यता की अवधि की समाप्ति पर वे यथास्थिति विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान में पुनः अपना पदभार ग्रहण कर सकेंगे।

परंतु विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा संस्थान के ऐसे शिक्षक / कर्मचारी जो राज्य अथवा केन्द्रीय विधान मंडल की सदस्यता प्राप्त कर लें, वे शपथ ग्रहण की तिथि अथवा इस अधिनियम के लागू होने की तिथि, जो भी पहले हो, से यह विकल्प देंगे कि वे वेतन महंगाई भत्ता आदि विश्वविद्यालय से लेंगे या विधान मंडल से। ऐसे शिक्षक / कर्मचारी राज्य अथवा केन्द्रीय विधान मंडल के सदस्य के रूप में तत्संबंधी अधिनियम के अधीन समय-समय पर प्रदत्त अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के स्वतः हकदार होंगे।

परंतु यह भी कि इस धारा का कोई उपबंध राज्य अथवा केन्द्रीय विधान मंडल के एतत्संबंधी किसी उपबंध को प्रभावित नहीं करेगा"।]

Legislative changes (after 1982)—Sub-section (2) of Section 65 has been substituted by Act 13 of 1998 w.e.f its inception (यह सदा से प्रवृत्त समझा जायेगा). Prior to its substitution this sub-section read as follows :—

[1][**65. आचार संहिता**—(1) विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिये आचार संहिता परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा नियंत्रित, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर पद, जब तक अन्यथा अंकित न हो साधारणतः पूर्णकालिक पद हैं। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रदत्त शिक्षण एवं अन्य कर्त्तव्यों का पालन इन पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को पूर्णकाल तक करना पड़ता है। यदि विश्वविद्यालय द्वारा नियन्त्रित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय संस्थान का कोई शिक्षक या कर्मचारी किसी संस्था के निर्वाचित अथवा गैर-निर्वाचित पद पर या उनकी सदस्यता ग्रहण करता है जो विश्वविद्यालय के शिक्षण अथवा अन्य कामों में बाधा उत्पन्न करता है वैसे व्यक्तियों को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान से अनुमति लेनी होगी और अपने नियोक्ता से एक निश्चित अवधि के लिए अवैतनिक छुट्टी लेनी होगी।

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के शिक्षक एवं कर्मचारी को निजी रोजगार, उद्योग-धंधे, निजी अनुशिक्षण तथा अन्य कार्य जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की राय में उनके नियुक्ति के हित में नहीं है, करने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षक/कर्मचारी जो असाधारण छुट्टी पर जायेंगे वे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के निधि से वेतन अथवा भत्ता पाने के अधिकारी नहीं होंगे और/वे ग्रहित सेवा की प्रकृति को देखते हुए विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार वेतन वृद्धि अर्जित कर सकेंगे/अर्जित नहीं कर सकेंगे। ऐसी असाधारण छुट्टी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के द्वारा स्वीकृत की जा सकती है और परिनियमों के द्वारा ऐसे अवकाश विहित किये जायेंगे :

परन्तु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के शिक्षक/कर्मचारी आदि राज्य अथवा केन्द्रीय विधान-मंडल के सदस्य हो जाये तो दायित्व एवं प्रतिनिधित्व और जन-जीवन में उनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए वे उक्त पदों पर शपथ लेने की तिथि से राज्य और केन्द्रीय विधान-मंडल की सदस्यता की पूरी अवधि के लिए बिना वेतन के विशेष छुट्टी पर समझे जायेंगे। विशेष छुट्टी परिनियम द्वारा विहित की जाएगी। विशेष अवकाश पर गये शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा हितों को पूरी सुरक्षा दी जायगी, जिससे वे वेतन वृद्धि/प्रोन्नति, सेवा में वरीयता आदि अर्जित करते रहेंगे। विधान-मंडल की सदस्यता की अवधि की समाप्ति पर वे यथास्थिति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में पुनः पदभार ग्रहण कर सकेंगे :

परन्तु विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय अथवा संस्थान के ऐसे शिक्षक, अथवा कर्मचारी, जो राज्य अथवा केन्द्रीय विधान-मंडल की सदस्यता प्राप्त कर लें, वे सदस्यता प्राप्ति की तिथि अथवा इस

1. Subs. by Act 67 of 1982.

Scanned with CamScanner

अधिनियम के लागू की तिथि जो भी बाद में हो, से बिना वेतन विशेष छुट्टी पर समझे जायेंगे तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न विकासों में भी उनकी सदस्यता उसी तिथि से समाप्त समझी जायेगी।"

[1][**66. Effect of detention.**—(1) If any teaching or non–teaching employee of the University or a Constituent College is detained in custody under any law for a period upto 48 hours whether on a criminal charge or otherwise on security grounds, he shall with effect from the date of detention be deemed to have been suspended by the order of the appointing authority.

(2) On being released from detention, he shall not be entitled to any remuneration other than the subsistence allowance for the period of suspension.

(3) Any employee proceeded against on a criminal charge or detained under any other law providing for preventive detention shall be deemed to be suspended for the period during which he is kept under detention in custody or undergoes the sentence of imprisonment, and shall not be permitted to draw any pay or allowance for the said period other than subsistence grant payable according to the principles contained in the Statutes, unless the proceeding initiated against him is closed or, as the case may be, he is released from detention and permitted to resume duty. The adjustment of his allowance for such periods shall be made according to the circumstances of the case. Full amount shall be paid only when he is acquitted or the detention is found to be unjustified by a competent officer.

(4) An employee against whom proceedings on a criminal charge are pending shall, by special order to this effect, be kept under suspension during the period when he is not actually detained in custody or imprisoned (that is, when he is released on bail), if the charges made or the proceedings initiated against him are related to his status as an employee or in this manner may cause trouble in the discharge of this duties, or involves the question on moral turpitude. The provisions aforesaid shall apply in respect of his pay and allowances.]

67. [1][x x x x x]

67A. [3][x x x x x x]

Legislative changes (after 1982)—This section was deleted by Act 18 of 1993 w.e.f. 22. 8.1993.

Prior to its deletion this section read as follows :

"67A. Effect of transfer on Seniority etc.—If an employee of an University is transferred under orders of the Chancellor from one University to another University, he shall continue to get the pay and allowances, he has been drawing and shall carry his seniority based on the date of his regular appointment to the post."

68. Pension, gratuity, insurance and provided fund.—(1) The University shall, subject to such manners and conditions as may be prescribed by the Statutes, constitute any pension, gratuity, insurance or provident funds, as it may deem fit, for the benefit of its officers, teachers and other employees (excluding those who are members of public service of India and whose services are lent to the University under section 63.)

(2) Where any such pension, gratuity, insurance or provident fund is constituted in this manner, the State Government may declare that the provisions of the Provident Funds Act, 1925 (Act No. 19 of 1925) shall apply to the said Fund as if that fund is State Provident Fund.

69. Transitory provisions for Patna Women's College and Bihar National College.—Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act–

1. Subs. by Act 67 of 1982.
2. Deleted by ibid.
3. Deleted by Act 18 of 1993.

Scanned with CamScanner